

न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट) कॅम्प
कासीपटनी

:- आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी आदेशों के अन्तर्गत व भू.अ.नि. 57/58 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासीपटनी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्बन्धित 57/58 में खाता संख्या 57/58 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कासीपटनी	57, 58	मान्नी बेबा	मान्नी धर्षपटनी

(रतनलाल रेगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट
भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 426/18

दिनांक :- 18/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री कासीपटनी को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट
भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला - भीलवाडा